विविध बैंक प्र0सं0 73/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहरनगर, श्रीगंगानगर बनाम 1–श्री रामलाल वधवा पुत्र श्री होण्डा राम वधवा रिहायशी मकान न0 एस–11 रिद्धि सिद्धि एन्कलेंव फस्ट, श्रीगंगानगर 2–केवल कृष्ण वधवा पुत्र श्री रामलाल वधवा पुत्र श्री होण्डा राम वधवा रिहायशी मकान न0 एस–11 रिद्धि सिद्धि एन्कलेंव फस्ट, श्रीगंगानगर

25.09.2017

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री रामलाल वधवा पुत्र श्री होण्डा राम–ऋणी एवं श्री केवल कृष्ण वधवा पुत्र श्री रामलाल वधवा–सहऋणी, निवासी मकान न0 एस–11 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव–फस्ट, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 8,25,000रूपये (अखरे आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) **ऋण** दिनांक 16.07.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीगण श्री रामलाल वधवा ऋणी व श्री केवल कृष्ण वधवा सहऋणी ने अपना रिहायशी मकान नं0 एस.एन.–11, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव–फस्ट, चक 2 एम एल मु00 53 कि0न0 21 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30'X60' कुल 1800 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.04.16 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 05.05.2016 को ऋण राशि 8,35,386.37रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 05.05.2016 को भिजवाया गया था नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण श्री रामलाल वधवा ऋणी एवं श्री केवलकृष्ण सहऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायशी मकान नं0 एस. एन.–11, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव–फस्ट, चक 2 एम एल मु00 53 कि0न0 21 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30'X60' कुल 1800 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 8,25,000–रूपये (अखरे आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 16.07.2012 को अप्रार्थी श्री रामलाल वधवा ऋणी एवं श्री केवलकृष्ण सहऋणी को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीगण श्री रामलाल वधवा ऋणी एवं श्री केवलकृष्ण सहऋणी द्वारा अपनी रिहायशी मकान नं0 एस.एन.–11, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव–फस्ट, चक 2 एम एल मु00 53 कि0न0 21 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30'X60' कुल 1800 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.04.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.05.2016 को बकाया राशि 8,35,386.37–रूपये वसूली करने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त धारा 13(2) के नोटिस जो ऋणी रामलाल वधवा व सहऋणी केवल कृष्ण वधवा के नाम से जारी किये गये है की प्रस्तुत रजि0 ए.डी. रसीदो के अनुसार उक्त नोटिस मूल ऋणी रामलाल वधवा एवं सहऋणी केवल कृष्ण वधवा पर तामील होने नही पाये जाते है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति पर तामील हुए है जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बने नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी स्वयं पर या उसकी ओर से अधिकृत अभिकर्ता पर होनी आवश्यक है। चूंकि धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी रामलाल वधवा व सहऋणी केवल कृष्ण वधवा पर होनी नही पाई जाती है। इसलिए अप्रार्थीगण पर धारा 13 (2) के नोटिस की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा0 पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नही किया जा सकता। जब तक ऋणी एवं सहऋणी पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नही हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निदेशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत व उचित प्रकिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर